

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

द/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
14/21	212 RTA	कडवा वन	द 931
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मुरारीलाल.	बनाम	रामू वगै.	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
17/3/21	अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 6/4/2021 को पेश हो।	
6/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना उपस्थित। प्रतिवादी गणों के तलवी सम्मन वाद तालीक अश्रावत। वास्तु इंतजार सम्मन पत्रावली दिनांक 31/5/21 को पेश हो।	
3/7/21	अभिभाषक वादी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 31/5/21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
3/8/21	अभिभाषक वादी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14/7/21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
14/7/21	अभिभाषक वादी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/8/21 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

18.9.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18.9.24 को पेश हो।

[Signature]
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

18.9.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18.9.24 को पेश हो।

[Signature]
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

4.11.24

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 16.12.24 को पेश हो।

[Signature]
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

16.12.24

पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रार्थी उद्योग। वकील प्रार्थी प्रकरण के आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण को चलाना नहीं चाहते हैं। Not press करना चाहते हैं। प्रकरण Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेशाल हुआ होकर सम्पन्न रहता है।

Not Pressed
JMK